राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांकR- 245–पीबीआर / 15 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–5–2015	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 17.11.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 686 / 6 / 2 रकबा 0.392 हैक्टेयर जो कि ग्राम बरलाई में स्थित है, का पट्टा भूमिहीन गीताबाई, भूरीबाई, नब्बुबाई एवं जयराम को दिया गया था, जो अहस्तांतरणीय था । पट्टेदारों द्वारा पट्टे की शर्तो का उल्लंघन करते हुए बिना कलेक्टर की अनुमति के विकय किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी पट्टा निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा निगरानी निरस्त करने में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

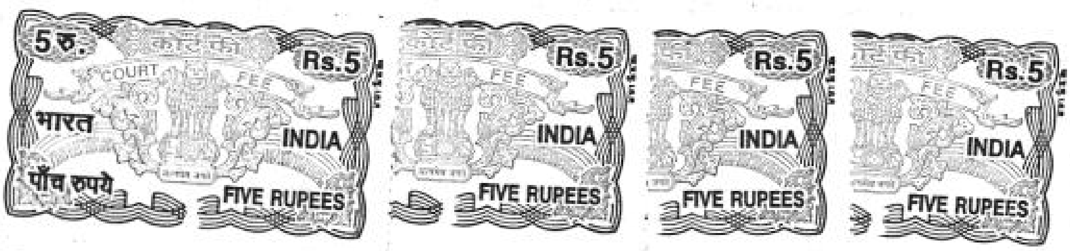

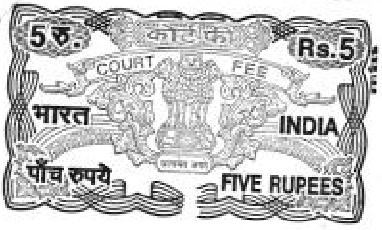

निगरानी 245-PBR-15

॥श्री॥ पुनरीक्षण याचिका क्र0-

प्रस्तुती दिनांक 19/1/2015

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर बैंच इंदौर के समक्ष

श्रीमति सुमित्राबाई पति श्री सुरेशचन्द्र कलोता
पता-ग्राम बरलाई जागीर तहसील सांवेर
जिला इन्दौर म0प्र0 - - प्रार्थी/आवेदिका

विरूद्ध

1/- श्रीमति गीताबाई , भूरीबाई ,
नब्बूबाई, जयराम पिता स्व0
बजेसिंह बागरी सभी निवासी
ग्राम बरलाई जागीर तहसील सांवेर
जिला इंदौर म0प्र0

2/- म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी हल्का
नंबर 51, ग्राम बरलाई जागीरतहसील सांवेर
जिला इंदौर म0प्र0 - - - प्रतिप्रार्थीगण /
अनावेदकगण

श्री ... 19-1-15 को ...

18/2/015

21-1-15

पुनरीक्षण:- धारा 50 म0प्र0 भू- राजस्व संहिता 1959 ,